UPSR040040212026

न्यायालय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, श्रावस्ती

बेल अप्लीकेशन/1300/2026

राज्य बनाम. संजय लोनिया उर्फ संजू उर्फ लम्बू

दिनांक–09.06.2026

यह जमानत प्रार्थनापत्र मुकदमा अपराध संख्या–18/2026 अन्तर्गत धारा–305(A), 331(4),317(2) बी०एन०एस० थाना इकौना जनपद श्रावस्ती में अभियुक्त **संजय लोनिया उर्फ संजू उर्फ लंबू** ने इस निवेदन के साथ प्रस्तुत किया है कि उसे असत्य तथ्यों के आधार पर फर्जी फंसाया गया है। तथाकथित घटना से उसका कोई वास्ता व सरोकार नहीं है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज की गयी है। वह निर्दोष है। अतः उसे उचित जमानत पर रिहा किया जाये।

अभियोजन पक्ष की ओर से जमानत का विरोध किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का परिशीलन किया। अभियुक्त जिला कारागार में निरुद्ध है। अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध रात्रि में वादी मुकदमा के घर में घुसकर एक सोने की टीका, एक जोड़ी सोने की झुमकी, एक सोने का मंगलसूत्र व 32000/– रुपये नकद चोरी किये जाने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध अजमानतीय, संज्ञेय व गम्भीर प्रकृति का है तथा 14 वर्ष तक के दण्ड से दण्डनीय है।

अतः अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति तथा गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

आदेश

अभियुक्त **संजय लोनिया उर्फ संजू उर्फ लंबू** द्वारा मुकदमा अपराध संख्या–18/2026 अन्तर्गत धारा–305(A), 331(4),317(2) बी०एन०एस० थाना इकौना जनपद श्रावस्ती के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
श्रावस्ती